



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग—1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 3 अगस्त, 2004

श्रावण 12, 1926 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायी अनुभाग—1

संख्या 1070/सात-वि-1-1(क)-20-2004
लखनऊ, 3 अगस्त, 2004

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी विधि (संशोधन) विधेयक, 2004 पर दिनांक 2 अगस्त, 2004 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2004 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी विधि (संशोधन) अधिनियम, 2004

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2004]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 का अग्रतर संशोधन करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

अध्याय—1

प्रारम्भिक

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी विधि (संशोधन) अधिनियम, 2004 कहा जाएगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 24 मई, 2003 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

अध्याय-2

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 का संशोधन

उत्तर प्रदेश
अधिनियम संख्या 25
सन् 1964 की
धारा 2 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 की जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, खण्ड (ज-1) निकाल दिया जाएगा।

धारा 8 का
संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 8 में उपधारा (2) में खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात् :-

“(ख) धारा 13 के उपबन्धों के अनुसार परिष्कृत या नवनिर्मित मण्डी क्षेत्र के लिये एक नई मण्डी समिति संगठित की जायेगी ;”

धारा 13, 13-क,
14, 14-क और
14-ख का
प्रतिस्थापन

4-मूल अधिनियम की धारा 13, 13-क, 14, 14-क और 14-ख के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रख दी जायेंगी, अर्थात् :-

“13-(1) धारा 12 में निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे जिन्हें राज्य समिति का सरकार द्वारा ऐसी रीति से नाम-निर्दिष्ट किया जाएगा जैसी संगठन

विहित की जाय :-

(क) प्रधान मण्डी स्थल या उपमण्डी स्थल या उनमें से किसी के भाग और मण्डी क्षेत्र या उसके किसी भाग पर क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाली नगरीय स्थानीय निकायों का एक प्रतिनिधि ;

(ख) प्रधान मण्डी स्थल या उपमण्डी स्थल या उनमें से किसी के भाग और मण्डी क्षेत्र या उसके किसी भाग पर क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाली जिला पंचायत का एक प्रतिनिधि और क्षेत्र पंचायतों का एक प्रतिनिधि ;

(ग) मण्डी क्षेत्र में कार्य करने के लिये लाइसेंस प्राप्त सहकारी विपणन समितियों का एक प्रतिनिधि;

(घ) मण्डी क्षेत्र के भीतर कारोबार करने वाले और उसके लिये इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस प्राप्त आढ़तियों का एक प्रतिनिधि ;

(ङ) मण्डी क्षेत्र के भीतर कारोबार करने वाले और उसके लिये इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों का एक प्रतिनिधि ;

(च) मण्डी क्षेत्र के उत्पादकों के सात प्रतिनिधि ;

(छ) मण्डी क्षेत्र का एक व्यक्ति जो उपभोक्ताओं के हित का प्रतिनिधित्व करेगा ;

(ज) दो सरकारी पदधारी, जिनमें से एक उत्तर प्रदेश व्यापार कर विभाग का और दूसरा खाद्य तथा रसद विभाग का प्रतिनिधि होगा;

(झ) मण्डी समिति का सचिव, जो सदस्य सचिव होगा।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (च) के अधीन नाम-निर्दिष्ट व्यक्तियों में से,

(क) दो सदस्य किसी ऐसी ग्राम पंचायत के निवासी होंगे जिसका मण्डी क्षेत्र के किसी भाग पर क्षेत्राधिकार हो;

(ख) पांच सदस्य मण्डी क्षेत्र में कोई ऐसे उत्पादक विक्रेता होंगे जो समिति से पिछले तीन वर्षों का प्रपत्र संख्या 6 में विक्रय वाउचर प्राप्त किये हों;

जिनमें से एक सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का होगा और दूसरा सदस्य नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों में से होगा।

(3) प्रत्येक समिति में उपधारा (1) के खण्ड (च) में निर्दिष्ट सदस्यों में से राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक सभापति और समिति के सदस्यों में से राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक उप सभापति होगा;

(4) (क) उपधारा (1) के अधीन संगठित समिति का कार्यकाल उपधारा (6) के अधीन समिति के संगठन के प्रकाशन के दिनांक से दो वर्ष का, यदि राज्य सरकार द्वारा उससे पूर्वतर समाप्त न कर दिया जाय, होगा;

(ख) सभापति, उप सभापति और सदस्यों का कार्यकाल समिति के कार्यकाल का सहवित्तारी होगा;

(ग) कोई अशासकीय सदस्य, यदि वह समिति का लाइसेंसधारी न रह गया हो या समिति में यथास्थिति, अन्यथा व्यापारी या आदती के रूप में कार्य न करता हो, अपने पद पर नहीं बना रहेगा।

(5) उपधारा (1) के अधीन नाम-निर्दिष्ट प्रत्येक सदस्य का नाम नाम-निर्देशन के 21 दिन के भीतर निदेशक के यहाँ रजिस्ट्रीकृत किया जायगा।

(6) उपधारा (1) के अधीन संगठित समिति के संगठन को निदेशक द्वारा राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से गजट में विज्ञापित किया जायगा।

(7) राज्य सरकार, जहाँ वह लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, विज्ञापित द्वारा समिति का कार्यकाल एक बार में छः माह से अनधिक अवधि के लिये बढ़ा सकती है, किन्तु ऐसी वृद्धि की कुल अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(8) समिति की किसी कार्यवाही पर या उसके द्वारा या उसके ओर से किये गये किसी कार्य पर इस आधार पर कि समिति के सभापति, उपसभापति या सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति के नाम-निर्दिष्ट होने के लिये किसी अर्हता का अभाव था, या उसके नाम-निर्देशन में कोई त्रुटि हुई या इस आधार पर कि समिति में कोई, रिक्ति या उसके संगठन में कोई अन्य त्रुटि हुई, आपत्ति नहीं की जायेगी।

13-क (क) समिति का कोई सदस्य सभापति को सम्बोधित स्वहस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद से त्याग-पत्र दे सकता है। त्याग-पत्र उस दिनांक से प्रभावी होगा जिस दिनांक को इसे निदेशक के पूर्व अनुमोदन से सभापति द्वारा स्वीकार किया जाय;

कतिपय परिस्थितियों में सदस्यों का त्याग-पत्र और नाम निर्देशन

(ख) राज्य सरकार विज्ञापित द्वारा ऐसे सदस्यों को, जिन्होंने त्याग-पत्र दिया है, की रिक्तियों को भरने के लिये सम्बन्धित श्रेणी के सदस्यों में से व्यक्तियों को नाम-निर्दिष्ट कर सकती है और इस प्रकार नाम-निर्दिष्ट किये गए व्यक्ति समिति के अवशिष्ट कार्यकाल तक के लिये पदधारण करेंगे।

13-ख-राज्य सरकार, निदेशक की सिफारिश पर, सभापति या उप सभापति सहित किसी सदस्य को हटा सकती है, यदि वह अपने कर्तव्यों के पालन में उपेक्षा या कदाचार का या किसी अमर्यादित आचरण का दोषी पाया गया हो या सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो गया हो या दिवालिया न्याय निर्णीत कर दिया गया हो और ऐसे सदस्यों की रिक्ति यथास्थिति धारा 13 की उपधारा (3) या धारा 13-क के खण्ड (ख) के उपबन्धों के अनुसार भरी जायेगी :

समितियों के सदस्यों, उपसभापति और सभापति का हटाया जाना

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई सदस्य पद से तब तक नहीं हटाया जायेगा जब तक कि उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया जाय।

समिति का निलम्बन

13-ग-जहां निदेशक का यह समाधान हो जाय कि,-

(क) कोई समिति जानबूझकर अपने कृत्यों के सम्पादन या अपने कर्तव्यों के पालन में विफल हो गयी हो, या इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियमित के द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का अतिक्रमण किया हो या दुरुपयोग किया हो;

(ख) समिति के जारी रहने या उसके कार्य करते रहने से लोक व्यवस्था बनाये रखने पर या विपणन क्षेत्र या उसके भाग या अन्य विपणन क्षेत्रों में समुदाय के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और सेवाओं को बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो; और

(ग) ऐसा करना आवश्यक हो,

तो वह समिति से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के पश्चात् लिखित आदेश द्वारा समिति के कार्य को छः माह की अवधि तक के लिए निलम्बित कर सकता है।

निलम्बन के परिणाम

13-घ (1) जहां कोई समिति धारा 13-ग के अधीन निलम्बित कर दी जाय, वहां उसके सभापति, उपसभापति और सदस्य के सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि उन्होंने निलम्बन अवधि तक अपना-अपना पद रिक्त कर दिया और समिति की शक्तियों, कर्तव्यों और कृत्यों का प्रयोग, पालन और सम्पादन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायेगा जो ऐसी शक्तियों, कर्तव्यों और कृत्यों का प्रयोग, पालन या सम्पादन या तो स्वयं या ऐसे अधिकृत अधिकारी के माध्यम से जो डिप्टी कलेक्टर से निम्न श्रेणी का न हो, कर सकता है।

(2) जहां परिस्थितियों के अनुसार सनुचित आधार हो वहां निदेशक समिति के विघटन के लिए निलम्बन की तिथि से अपनी रिपोर्ट तीन माह के अन्दर राज्य सरकार को भेज सकता है।

(3) निदेशक राज्य सरकार को धारा 13-ग के अधीन निलम्बन के विषय में तत्काल रिपोर्ट करेगा और यदि कोई विपरित निदेश या आदेश निदेशक को राज्य सरकार से 15 दिन के भीतर प्राप्त नहीं होता है तो निलम्बन प्रथम आदेश में निदेशित अवधि के लिये जारी रहेगा अन्यथा वह उक्त मामले में राज्य सरकार के निदेशों के अनुसार कार्य करेगा।

समिति का विघटन

13-ङ-यदि किसी समय राज्य सरकार का, निदेशक की रिपोर्ट पर, यह समाधान हो जाय कि किसी समिति ने इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियमित द्वारा या उसके अधीन अधिरोपित किये गये किसी कर्तव्य के पालन में जानबूझकर व्यतिक्रम किया है, या समिति के स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात् अपनी शक्तियों का अतिक्रमण किया है या उनका दुरुपयोग किया है, तो वह उन निमित्त कारणों का उल्लेख करते हुए आदेश द्वारा समिति को सरकारी गजट में प्रकाशन द्वारा विघटित कर सकती है।

स्पष्टीकरण 1-जानबूझकर किये गये व्यतिक्रम का तात्पर्य समिति से उद्भूत कर्तव्यों का पालन करने में विफलता उस कर्तव्य का पालन में रजामंदी का अभाव या उसकी अनिच्छा से है और ऐसी विफलता किसी घटना या अनवधानता से हुई त्रुटि का परिणाम नहीं होनी चाहिए।

स्पष्टीकरण 2-कारणों को उल्लिखित करने का प्रयोजन यह सुनिश्चित करना है कि ऐसे कारण, जिन्होंने कार्यवाही के लिए प्रेरित किया है, राज्य सरकार में निहित शक्ति की विषयवस्तु और परिधि के सन्दर्भ में वास्तविक और सुसंगत है।

विघटन के परिणाम

13-च समिति के विघटन पर,-

(क) समिति के सभी सदस्यों, जिनके अन्तर्गत सभापति और उपसभापति भी है, के बारे में यह समझा जायेगा कि वे विघटन के दिनांक से अपने पद रिक्त कर चुके हैं।

(ख) कलेक्टर समिति का प्रशासक बन जायेगा और जब तक धारा 13 के अधीन नई समिति का संगठन नहीं हो जाता है वह या तो स्वयं या किसी ऐसे अधिकारी के माध्यम से, जो डिप्टी कलेक्टर से निम्न श्रेणी का न हो, सभापति, उपसभापति और समिति की शक्तियों का प्रयोग कर्तव्यों का पालन और कृत्यों का सम्पादन करेगा।

5-मूल अधिनियम की धारा 15 के शब्द "निर्वाचित, नाम-निर्दिष्ट या नियुक्त" के स्थान पर शब्द "राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट या नियुक्त" रख दिये जायेंगे।

धारा 15 का संशोधन

6-मूल अधिनियम की धारा 17 के पश्चात निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

धारा 17-क का प्रतिस्थापन

"17-क (1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए, जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि राज्य में कृषि प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से और उक्त इकाई द्वारा कच्ची सामग्री स्वरूप प्रयुक्त किये जाने वाले निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के विपणन को सम्प्रवर्तित करने के लिए लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, वह आवेदन करने पर या अन्यथा अधिसूचना द्वारा ऐसे निर्दिष्ट कृषि उत्पादन या उपजों पर (विकास सेस को छोड़कर) मण्डी शुल्क से छूट प्रदान कर सकती है या उसकी दर में कमी कर सकती है, जैसा कि ऐसी नवस्थापित इकाई द्वारा उपयोग किया जा सकता है जो इस शर्त को पूरा करती हो कि ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों, जैसा उसमें विनिर्दिष्ट किया जाय, के अधीन इसके संयंत्र और मशीनरी की लागत उसमें यथा विनिर्दिष्ट ऐसी अवधि, जो पांच वर्ष से अधिक न हो, के लिए दस करोड़ रुपये से कम नहीं होगी।

(2) राज्य सरकार, इस बात का समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है, अधिसूचना द्वारा ऐसी अवधि, जो प्रवृत्त थी, की समाप्ति के पूर्व उपधारा (1) के अधीन जारी किसी अधिसूचना को विखण्डित कर सकती है।"

7-मूल अधिनियम की धारा 26-ख में, खण्ड (छ) और (ज) में, शब्द "निर्वाचित" जहां कहीं भी आया हो, के स्थान पर शब्द "नामनिर्दिष्ट" रख दिया जायेगा।

धारा 26 ख का संशोधन

8-मूल अधिनियम की धारा 28, 29 और 30 निकाल दी जायेगी।

धारा 28, 29 और 30 का निकाला जाना

9-मूल अधिनियम की धारा 40 की उपधारा (2) में,-

धारा 40 का संशोधन

(क) खण्ड (1) निकाल दिया जायेगा।

(ख) खण्ड (2) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

"(2) धारा 13 के अधीन समिति के संगठन के लिए या राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देश द्वारा धारा 8 की उपधारा (1) के खण्ड (ख), खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन परिष्कृत और नवनिर्मित मण्डी क्षेत्र के लिए और उनके परिणामिक मामलों के लिए व्यवस्था,"

(ग) खण्ड (3) निकाल दिया जायेगा।

(घ) खण्ड (31-क) निकाल दिया जायेगा।

अध्याय-3

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 का निरसन

10-(1) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 1972 का निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, किसी समिति की, जिसके अन्तर्गत उसका सभापति, उपसभापति और उसके सदस्य भी हैं, शक्तियों का प्रयोग, कर्तव्यों का पालन और कृत्यों का सम्पादन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किये जाने के सम्बन्ध में की गयी व्यवस्था, जैसी की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियम में उपबन्धित है, ऐसी समिति के सम्बन्ध में तब तक जारी रहेगी, जब तक कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 की धारा 13 के अनुसार उसका संगठन न कर दिया जाय।

अध्याय-4

विविध

विधिमाम्यकरण

11-शंकाओं के निकारण के लिए एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि किसी मण्डी समिति, उसके सभापति और उपसभापति के अधिकार, कृत्य और कर्तव्य, जो दिनांक 14 अक्टूबर, 2003 के ठीक पूर्व उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 की धारा 2 के अधीन सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट में निहित थे, उक्त जिला मजिस्ट्रेट में उसी प्रकार विधिमाम्यतः निरन्तर निहित समझे जायेंगे और दिनांक 14 अक्टूबर, 2003 को या उसके पश्चात् किसी भी समय जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त अधिकारों के प्रयोग, कृत्यों के सम्पादन और कर्तव्यों के पालन में कृत कोई कार्य या कार्यवाही विधिमाम्य समझी जायेगी, मानों इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उक्त अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

निरसन और अपवाद

12-(1) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2004, और उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2003 एतद्वारा निरसित किये जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेशों द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

उत्तर प्रदेश
अध्यादेश
संख्या 10
सन् 2004
उत्तर प्रदेश
अध्यादेश
संख्या 14
सन् 2003

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1964) की धारा 13, 13-क और 14 में क्रमशः निर्वाचित और नाम-निर्दिष्ट सदस्यों से मण्डी समितियों के गठन, ऐसे प्राधिकारी समितियों के गठन की व्यवस्था है। चूंकि उक्त धारा 13 के उपबन्धों के अनुसार मण्डी समितियों का गठन नहीं किया जा सका, अतः किसी मण्डी समिति, उसके सभापति और उप सभापति की शक्तियों का प्रयोग, कर्तव्यों का निर्वहन और कृत्यों का सम्पादन, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 द्वारा जिला मजिस्ट्रेट में निहित कर दिये गये। अतएव, यह विनिश्चय किया गया कि जैसी कि अन्य राज्यों यथा तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली, आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा में मण्डी समितियों के संगठन के संबंध में व्यवस्था की गयी है, मण्डी समितियों का संगठन उनके सदस्यों का निर्वाचन कराकर किये जाने के बजाय ऐसे सदस्यों का नाम निर्देशन करके किये जाने की व्यवस्था करने के लिए सन् 1964 के उक्त अधिनियम को संशोधित किया जाय और सन् 1972 के उक्त अधिनियम को निरसित किया जाय। उक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए राज्यपाल द्वारा उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2003 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 14 सन् 2003) प्रख्यापित किया गया। उक्त अध्यादेश के उपबन्ध अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किए जा सकें और अध्यादेश व्यपगत हो गया। तत्पश्चात् यह विनिश्चय किया गया कि उक्त अध्यादेश के उपबन्धों को भूतलक्षी प्रभाव से दूसरे अध्यादेश द्वारा प्रख्यापित किया जाय। यह भी विनिश्चय किया गया कि कतिपय विनिर्दिष्ट कृषि उपज के संबंध में मण्डी शुल्क से छूट प्रदान करने या उसकी दर में कमी करने के लिए राज्य सरकार को सशक्त करने की व्यवस्था की जाय।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 28 जून, 2004 को उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2004 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 सन् 2004) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
धर्मवीर शर्मा,
प्रमुख सचिव।

No. 1070(2)/VII-V-1-1(Ka)-20-2004

Dated, Lucknow, August 3, 2004

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Vidhi (Sanshodhan), Adhiniyam, 2004 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 13 of 2004) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 3, 2004 :—

THE UTTAR PRADESH KRISHI UTPADAN MANDI VIDHI (AMENDMENT)
ADHINIYAM, 2004

(U.P. Act no. 13 of 2004)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

furth^r to amend the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-fifth Year of the Republic of India as follows:—

CHAPTER-1

Preliminary

1.(1) This Act may be called the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Vidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2004.

Short title and commencement

(2) It shall be deemed to have come into force on May 24, 2003.

CHAPTER-2

Amendment of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964, hereinafter in this chapter referred to as the principal Act, clause (h-1) shall be omitted.

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 25 of 1964

3. In section 8 of the principal Act, in sub-section (2) for clause (b) the following clause shall be substituted, namely:—

Amendment of section 8

“(b) a new Market Committee shall be constituted for the modified or newly created Market Area in accordance with the provisions of section 13.”

4. For sections 13, 13-A, 14, 14-A and 14-B of the principal Act the following sections shall be substituted, namely:—

Substitution of sections 13, 13-A, 14, 14-A and 14-B

Constitution of Committee

“13.(1) The Committee referred to in section 12 shall Consist of the Following members to be nominated by the State Government in the manner as may be prescribed:—

(a) one representative of urban local bodies, exercising jurisdiction over the Principal Market Yard or Sub-Market Yard, or part of either and the market area or any of its part;

(b) One representative of Zila Panchayat and one representative of Kshetra Panchayats exercising jurisdiction over the Principal Market yard or Sub-Market Yard, or part of either and the market area or any of its part;

(c) one representative of the Co-operative Marketing Societies holding license for transacting business in the Market Area;

- (d) one representative of commission agents carrying on business in the Market Area and holding license therefor under this Act;
- (e) one representative of traders carrying on business in the Market Area and holding license therefor under this Act;
- (f) seven representatives of producers of the Market Area;
- (g) one person of the Market Area who shall represent the interest of consumers;
- (h) two Government officials of whom one shall be a representative of the Uttar Pradesh Trade Tax Department and the other of the Food and Civil Supplies Department;
- (i) Secretary of the Market Committee who shall be the member secretary.
- (2) Out of the persons nominated under clause (f) of sub-section (1),
- (a) two members shall be residents of any of the Gram Panchayat exercising jurisdiction over any part of the Market Area;
- (b) five members shall be the producer sellers in the Market Area who obtained Sale Vouchers in Form no. VI of last three years from the Committee, out of which one member shall be belonging to the Scheduled Castes or the Schedule Tribes and the other from other backward classes of citizen.
- (3) Every Committee shall have a Chairman nominated by the State Government from amongst the members referred to in clause (f) of sub-section (1) and a Vice-Chairman nominated by the State Government from amongst the members of the Committee.
- (4) (a) The term of the Committee constituted under sub-section (1) shall be two years from the date of publication of the Constitution of the Committee under sub-section (6) if not terminated earlier by the State Government.
- (b) The term of the office of the Chairman, the Vice-Chairman and the members shall be Co-terminus with the Committee.
- (c) a non-official member shall cease to hold his office if he ceases to be a licensee of Committee or otherwise ceases to work in the Committee as trader or commission agent as the case may be.
- (5) The name of every member nominated under sub-section (1) shall be registered with the Director within 21 days of the nomination thereof.
- (6) The Constitution of the Committee constituted under sub-section (1) shall be notified in the *Gazette* by the Director with the prior approval of the State Government.
- (7) The State Government where it considers necessary or expedient so to do in public interest may by notification extend the term of Committee for a period not exceeding six months at a time but the total period of such extension shall not exceed one year.
- (8) No proceeding, or act done by or on behalf of the Committee shall be questioned on the ground for want of any qualifications, or defect in the nomination, of any person as Chairman, Vice-Chairman or member of the Committee, or on the ground of any vacancy, or any other defect in the Constitution of the Committee.

13-A. (a) A member of the Committee may resign from his office by writing under his hand addressed to the Chairman. The resignation shall take effect from the date on which it is accepted by the Chairman with the prior approval of the Director;

Resignation of members and nomination in certain circumstances

(b) The State Government may by notification nominate persons from the respective category of members to fill the vacancies of the members who have resigned and the persons so nominated shall hold office for remainder of the term of the Committee.

13-B. The State Government may, on the recommendation of the Director, remove any member including the Chairman or the Vice-Chairman if he has been found guilty of neglect or misconduct in the discharge of his duties or of any disgraceful conduct or has become incapable of performing his duties as a member or has been adjudged insolvent and the vacancy of such members shall be filled in accordance with the provisions of sub section (3) of section 13 or clause (b) of section 13-A as the case may be:

Removal of members, Vice-Chairman and Chairman of the Committee

Provided that no such member shall be removed from office unless he has been given a reasonable opportunity of being heard.

13-C. Where the Director, is satisfied that,-

Suspension of the Committee

(a) any Committee has willfully failed in the performance of its functions, or discharge of its duties, or has exceeded or abused the powers conferred on it by or under this Act or any other enactment;

(b) continuance or the functioning of the Committee is prejudicial; to the maintenance of public order or to the maintenance of supplies and services of commodities essential to the community in the market area or its part or in the other market areas; and

(c) it is necessary so to do, he may, after obtaining explanation from the Committee, by order in writing suspend the functioning of the Committee for a period up to six months.

Consequences of suspension

13-D. (1) Where a Committee is suspended under section 13-C the Chairman, the Vice-Chairman and the members thereof shall be deemed to have vacated their respective office for the period of suspension and the powers, duties and functions of the Committee shall be exercised, discharged and performed by the District Magistrate who may exercise, discharge or perform such powers, duties and functions either himself or through an officer authorised by him not below the rank of the Deputy Collector.

(2) Where the circumstances so warrant the Director may send its report for dissolution of the Committee to the State Government within three months from the date of its suspension.

(3) The director shall forthwith report about suspension under section 13-C to the State Government and if no adverse direction or order is received to the Director from the State Government within 15 days the suspension shall continue, for the period directed in the first order otherwise he shall act according to the directions of the State Government in the matter.

Dissolution of Committee

13-E. If at any time the State Government, on the report of the Director is satisfied that any Committee has made a willful default in the performance of any duty imposed upon it by or under this Act, or any other enactment or has exceeded or abused its powers, after taking into consideration the explanation of the Committee, it may, by order stating the reasons therefor dissolve the Committee by publication thereof in the official Gazette.

Explanation-1. Willful default means a failure to perform duties of the committee, lack of willingness or it disinclination to perform that duty and such failure should not be the result of any accident or inadvertent error.

Explanation-2. The purpose of stating reasons is to ensure that the reasons which impelled the action are genuine and relevant to the content and scope of the power vested in the State Government.

Consequences of dissolution

13-F. On the dissolution of the Committee;

(a) all the members, including the Chairman and the Vice-Chairman, of the Committee shall, be deemed to have vacated their offices from the date of dissolution.

(b) The Collector shall become the administrator of the Committee and shall either himself or through an officer not below the rank of deputy Collector exercise, discharge and perform the powers, duties and functions of Chairman, Vice-Chairman and the Committee, until the new Committee is constituted under section 13.

Amendment of section 15

5. In section 15 of the principal Act for the words "elected, nominated or appointed" the words, "nominated or appointed by the State Government" shall be substituted.

Insertion of section 17-A

6. After section 17 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:-

"17-A (1) Notwithstanding any thing to the contrary contained in any other provisions of this Act where the State Government is of the opinion that it is necessary and expedient in public interest so to do, in order to encourage establishment of Agro Processing Units in the State and to promote the marketing of the Specified Agricultural Produce to be used as raw material by the said unit it may on application or otherwise by notification exempt from or reduce the rate of mandi fee (excluding Development Cess) or such specified agriculture produce or produces as may be used by the newly established unit which fulfills the condition that the cost of its plant and machinery shall not be less than ten crore rupees, for such period as may be specified therein, not exceeding five years subject to such conditions and restrictions as may be specified therein.

(2) The State Government on being satisfied that it is expedient so to do, in public interest may, by notification, rescind any of the notification issued under sub-section (1) before the expiry of the period for which it was to remain in force."

Amendment of section 26-B

7. In section 26-B of the principal Act, in clauses (g) and (h) for the word "elected" wherever it occurs, the word "nominated" shall be substituted.

Omission of sections 28, 29 and 30

8. Sections 28, 29 and 30 of the principal Act shall be omitted.

Amendment of section 40

9. In section 40 of the principal Act, in sub-section (2):-

(a) clause (i) shall be omitted.

(b) for clause (ii) the following clause shall be substituted, namely:-

"(ii) for the constitution of the Committee under section 12 or for the modified and newly created Market Areas under clause (b), clause (c) or clause (d) of sub-section (1) of section 8 by nomination by the State Government and for their consequential matters".

(c) clause (iii) shall be omitted.

(d) clause (xxxi-a) shall be omitted.

CHAPTER-3

Repeal of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpkalik Vyavastha) Adhiniyam, 1972

10.(1) The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samities (Alpkalik Vyavastha) Adhiniyam, 1972 is hereby repealed.

Repeal of U. P. Act no. 7 of 1972 and savings

(2) Notwithstanding such repeal the arrangement regarding exercise of powers, discharge of duties and performance of functions of a committee including its Chairman, Vice-Chairman and members by the District Magistrate as provided in the Act referred to in sub-section (1) shall continue in respect of such Committee until it is constituted in accordance with the provisions of section 13 of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964.

CHAPTER-4

Miscellaneous

11. For the removal of doubts, it is hereby declared that the powers, functions and duties of a Market Committee its Chairman and Vice-Chairman vested in the District Magistrate concerned under section 2 of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpkalik Vyavastha) Adhiniyam, 1972 immediately before October 14, 2003 shall be deemed to have validly continued to be so vested in such District Magistrate and anything done or any action taken by the District Magistrate in exercise, performance and the discharge of the said powers, functions and duties at any time on or after October 14, 2003 shall be deemed valid as if the provisions of the said Act as amended by this Ordinance were in force at all material times.

Validation

U. P. Ordinance no. 10 of 2004 and U.P.

12.(1) The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Vidhi (Sanshodhan) Adhyadesh, 2004 and the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Vidhi (Sanshodhan), Adhyadesh, 2003 are hereby repealed.

Repeal and savings

Ordinance no. 14 of 2003

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Ordinance as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Sections 13, 13-A and 14 of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964 (U.P. Act no. 25 of 1964) provided respectively for the constitution of Market Committees with elected and nominated members, presentation of election petitions to such authority and within such time as may be prescribed and Constitution of first Committees and new Committees. As the market Committees could not be constituted in accordance with the provisions of the said section 13, the exercise of powers, discharge of duties and performance of functions of a Market Committee, its Chairman and Vice-Chairman had been vested in the District Magistrates by the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpkalik Vyavastha) Adhiniyam, 1972. It was, therefore, decided to amend the said Act of 1964 to provide for the Constitution of Market Committees by nominating the members thereof instead of by holding the elections of such members as has been provided in other States such as Tamilnadu, Punjab, Delhi, Andhra Pradesh, Hariyana and to repeal the said Act of 1972. The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Vidhi (Sanshodhan) Adhyadesh, 2003 (U.P. Ordinance no. 14 of 2003) was promulgated by the

Governor to implement the said decision. The Provisions of the said Ordinance could not be replaced by an Act and the Ordinance was lapsed. Thereafter it was decided to repromulgate with respective effect provisions of the said Ordinance by another Ordinance. It was also decided to provide for empowering State Government to exempt from, or reduce the rate of, mandi fee in respect of certain specified agricultural produce.

Since the State Legislature was not in session and immediate Legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Vidhi (Sanshodh) Adhyadesh, 2004 (U. P. Ordinance no. 10 of 2004) was promulgated by the Governor on June 28, 2004.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
D. V. SHARMA,
Pramukh Sachiv.